

अनुमण्डलीय न्यायालय डुमरौव, जिला—बक्सर

टी0एस0 सं0—159 / 2015

कौशिल्या देवी — वादी
बनाम्
फुलिया देवी वगै0 — प्रतिवादीगण

02.02.2024

उभय पक्ष अनुपस्थित है। वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी इस वाद में दिनांक—22.09.2022 से पैरवी नहीं कर रहा है। वादी को उचित पैरवी करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया फिर भी वादी के तरफ से कोई पैरवी नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद चलाने में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है। अतः वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। .

लेखापित

सब जज—तृतीय